Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

International Organization for Migration (IOM)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

zirf.eu

देश तथ्य पत्र

भारत गणराज्य

2016

दावा अस्वीकरण

आईओएम ने जानकारी इकट्ठी करने का काम बहुत सावधानी के साथ किया है। आईओएम अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और पूरी ईमानदारी के साथ जानकारी उपलब्ध कराता है। तथापि, आईओएम उपलब्ध कराई गई जानकारी की सटीकता के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आईओएम इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों अथवा परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

विषय सूची

I जांच सूची 1

1. वापस लौटने से पहले करें 1
2. वापस लौटने के तुरंत बाद करें 1

II. स्वास्थ्य देखभाल 2

1.स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली 2
2. चिकित्सा उपचार और चिकित्सा उपलब्धता तथा लागत 2

III. श्रम बाजार और रोजगार 3

1. श्रम बाजार की स्थिति और रोजगार खोजने हेतु सहायता 3
2. रोजगार खोजने के तरीके/सहायता 3
3. बेरोजगारी सहायता 3
4. भावी शिक्षा संभावनाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण 3

IV. आवास 3

1. आवास स्थिति 3
2. आवास खोजने के तरीके/सहायता 4
3. आवास हेतु सामाजिक स्वीकृतियां 4

V. समाज कल्याण 4

1. समाज कल्याण प्रणाली 4
2. पेंशन प्रणाली 4
3. कमजोर वर्ग 4

VI. शिक्षा 4

1. शिक्षा प्रणाली 4
2. पहुंच तथा पंजीकरण प्रक्रिया, विशेष रूप से वापस लौटने वालों के लिए 5
3.लागत, ऋण और वृत्तिकाएं 5
4. विदेशी डिप्लोमाओं का अनुमोदन और सत्यापन 5

VII. सम्पर्क सूचना तथा उपयोगी सम्पर्क सूत्र 6

1.अंतर्राष्ट्रीय, गैर–सरकारी, मानवीय संगठन 6
2. चिकित्सा सुविधाएं, उदाहरण के लिए अस्पताल इत्यादि 6

I. जांच सूची

1. वापस लौटने से पहले करें

वापस लौटने वाले को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए :

- जर्मनी के अधिकारियों से उन दस्तावेजों के लिए अनुरोध करना चाहिए, जिनकी जरूरत बाद में पड़ सकती है।
  - प्रवास के दौरान प्राप्त की गई शिक्षा/व्यावसायिक कौशल का प्रमाणपत्र (यदि कोई)
  - कार्य/रोजगार का प्रमाणपत्र (यदि कोई)
  - निरोध केन्द्र (हिरासत) में गुजारे गए समय (यदि कोई) का प्रमाणपत्र
  - चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा औषधि निर्धारण (यदि कोई)
- एयरपोर्ट पर पहुंचने और आगे की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखे।
  - यदि किसी को छोटे शहर जाना है तो सस्ती एयरलाइन्स उपलब्ध नहीं होंगी। व्यक्ति को इंडियन एयरलाइन्स या जेट एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइन्स का सहारा लेना होगा।
  - बड़े शहर जाने के लिए सस्ती एयरलाइन्स और रेल से जाना सही रहेगा। रवाना होने की तारीख से पहले कराई गई बुकिंग पर एयरलाइन्स कम किराये पर टिकट उपलब्ध करा सकती हैं। हालांकि, ज्यादा मांग की वजह से सीट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है।
  - आमतौर पर ज्यादातर एयरलाइन्स 15 किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाने की छूट देती हैं।
  - रेल टिकट ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर काउन्टर से अलग तथा ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। कई गाड़ियों में तत्काल सेवा उपलब्ध है तथा रवाना होने से एक दिन पहले टिकट बुक कराई जा सकती है। हालांकि, ज्यादा मांग की वजह से सीट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है।
  - भारतीय रेलवे वेबसाइट : http://www.indianrail.gov.in/ टिकट बुकिंग : http://www.irctc.co.in/eticketing/loginHome.jsf
  - महानगरों तथा छोटे शहरों में सड़कें अच्छी हैं तथा उन पर निशान भी लगे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राज्य परिवहन की बसें बहुत किफायती हैं, खासकर ऐसी जगह जाने के लिए जो रेल नेटवर्क से जुड़ी नहीं है। हर राज्य की अपनी सार्वजनिक परिवहन बस सेवा है जो बुनियादी तौर पर राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों को भी जाती हैं।
- रवाना होने से पहले टीका लगवाना (खासकर बच्चों को) और नियमित रूप से टीका लगवाने का ध्यान रखें। इन टीकों में मीजल्स–मम्प्स–रूबेला (एमएमआर) वैक्सीन, डिप्थीरिया–टेटनस–पर्टूसिस वैक्सीन, वैरिसेला (चिकनपॉक्स) वैक्सीन, पोलियो की दवा और साल में एक बार दिया जाने वाला फ्लू शॉट शामिल है।

2. वापस लौटने के तुरंत बाद करें

वापस लौटने वाले को :

- पंजीकरण (पुनःपंजीकरण) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान देना चाहिए :
  - भारतीय नागरिकों को किसी प्राधिकरण में कोई पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। अप्रवासन ब्यूरो एयरपोर्ट पहुंचने पर एक संक्षिप्त साक्षात्कार संचालित कर सकता है।
  - नियोक्ताओं द्वारा आमतौर पर पेंशन बीमा/कर्मचारी पेंशन स्कीम उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि पहले पंजीकृत हैं, तब पुनः पंजीकरण की जरूरत नहीं है।
  - स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों में साधारणतः गरीबी रेखा से नीचे संवर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है।
- स्थानीय ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाई (ग्राम पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर उस क्षेत्र में चल रही सरकारी स्कीमों को समझें।
- रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए रोजगार वेबसाइट/स्थानीय रोजगार केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।
- अपने कौशल के समुन्नतन हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

II. स्वास्थ्य देखभाल

1. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

क. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का ढांचा बहुमुखी है, जिसमें भिन्न स्वामित्व संरचनाओं के भीतर भिन्न चिकित्सा एवं सुविधाओं में विभिन्न प्रकार के सेवाप्रदाता काम कर रहे हैं। भारतीय संविधान के तहत, स्वास्थ्य देखभाल के अधिकांश पहलुओं पर राज्यों को प्राथमिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। अनुमानतः 80 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल निधि राज्यों से प्राप्त होती है। निजी क्षेत्र भी भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी में अहम भूमिका निभाता है।

ख. पहुंच, खासकर वापस लौटने वालों के लिए

- सरकार द्वारा प्रायोजित एकमात्र समाजोन्मुखी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम गरीबी रेखा से नीचे भारतीय नागरिकों के लिए है। http://www.rsby.gov.in/about rsby.aspx
- आम आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा विभिन्न प्राइवेट तथा सरकारी कम्पनियों के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। ये प्रीमियम योजनाओं के अनुसार भिन्न होते हैं। जनरल इंश्योरेंस, भारती एएए, एचडीएफसी एर्गो, बजाज, रेलिगेयर, अपोलो म्यूनिख, न्यू इंडिया एश्योरेंस, मैक्स बूपा इत्यादि भारत की कुछ प्रमुख स्वास्थ्य बीमा प्रदाता कम्पनियां हैं। अतिरिक्त जानकारी इन बीमा प्रदाताओं की वेबसाइट्स से प्राप्त की जा सकती है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की सूची http://www.mohfw.nic.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=316&lid=1610 पर देखी जा सकती है।

ग. लाभ और लागत

- सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निःशुल्क अथवा बहुत थोड़े शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अनेक लोकोपकारी संस्थाएं भी किफायती उपचार उपलब्ध कराती हैं।
- निजी स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर अपेक्षाकृत महंगा है तथा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अधिकांश खर्चे रोगियों तथा उनके परिवारों को, बीमा की बजाय, अपनी जेब से करने होते हैं। साधारणतः इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेन्स) की जरूरत होती है।

2. चिकित्सा उपचार और चिकित्सा उपलब्धता एवं लागत

क. चिकित्सा सुविधाएं और डाक्टर

- सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की बुनियादी इकाइयां हैं। ये आमतौर पर एक चिकित्सक द्वारा चलाई जा रही क्लीनिक होती हैं, जो छोटी–मोटी सर्जरी भी करते हैं। ये केन्द्र साधारणतः भारत में ग्रामों के निकट उपलब्ध होते हैं। भारत में 23,000 से अधिक पीएचसीज हैं।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में मौजूद हैं। तालुक अस्पतालों का नियंत्रण राज्य सरकार और संबंधित तालुकों (जिलों के मुकाबले छोटी प्रशासनिक इकाई) द्वारा किया जाता है।
- जिला स्तर के अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और विशेषज्ञता केन्द्रों में सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- कुछ प्रमुख अस्पतालों की सूची निम्न वेबसाइट पर देखी जा सकती है : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hospitals_in_India

ख. भर्ती की प्रक्रिया

- सरकारी/प्राइवेट अस्पताल में इलाज के इच्छुक मरीज को पहले संबंधित डाक्टर या विशेषज्ञ के पास परामर्श के लिए जाना पड़ता है। डाक्टर की सलाह पर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मरीज के परिवार के सदस्य या खुद मरीज अस्पताल के पंजीकरण विभाग में अपना नाम वगैरह दर्ज करवाता है और आगे इलाज के लिए भर्ती करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत करता है।
- भर्ती प्रक्रिया में आमतौर पर मरीज का चिकित्सा इतिहास, अस्पताल में भर्ती करने हेतु डाक्टर की सिफारिश संबंधी दस्तावेज और मरीज के इलाज की प्रकृति के आधार पर फीस जमा की जाती है।
- मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से पहले भर्ती संबंधी फार्म भरने तथा जरूरी फीस जमा करवाई जाती है, जिसमें कमरे का किराया तथा चिकित्सा उपकरणों, जांच तथा निर्धारित दवा संबंधी शुल्क शामिल होता है।

zirf.eu

ग. दवाओं की उपलब्धता और लागत

भारत में दवाओं की बहुतायत है तथा ये दूर–दराज के उप–नगरों में आसानी से उपलब्ध होती हैं। भारत आनुवंशिक (सामान्य) दवाओं का सबसे बड़ा विनिर्माता है तथा अनिवार्य दवाओं की कीमतें, इनकी व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

III. श्रम बाजार और रोजगार

श्रम बाजार की स्थिति और रोजगार खोजने में सहायता

क. श्रम बल

विश्व बैंक (2014) के अनुसार भारत में 497 मिलियन श्रम बल मौजूद है। अधिकांश श्रम बल प्राइवेट सेक्टर में असंगठित क्षेत्र में रोजगार कर रहा है।

भारत में युवाओं में बेरोजगारी की कुल दर 10.5 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों तथा महिलाओं की हिस्सेदारी 10.4 प्रतिशत तथा 10.5 प्रतिशत क्रमानुसार है।

ख. औसत आय

विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति आय (नॉमीनल) $ 1,582 थी, जबकि क्रय शक्ति साम्यता (पीपीपी) आधार पर इसकी प्रति व्यक्ति आय यूएस $ 6,088.6 थी।

ग. बेरोजगारी दर

भारत वर्तमान में 40–45 प्रतिशत नियोजित लोगों के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा श्रम बल 478.3 मिलियन (2012) है। भारत के श्रम बल में हर वर्ष 12.8 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। हालांकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा श्रम बल है, परंतु इसकी बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत है।

रोजगार खोजने के तरीके/सहायता

- कुछ प्रमुख ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं : www.naurki.com | www.monsterindia.com | www.timesjob.com | www.placementindia.com | www.jobsadhead.com
- सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती की सुविधा के लिए देश भर में 900 से अधिक रोजगार केन्द्र स्थापित किए हैं। रोजगार के इच्छुक व्यक्ति इन रोजगार केन्द्रों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं तथा सरकारी क्षेत्र में जब भी उनकी वांछित पात्रता से मेल खाती कोई रिक्ति होती है, उनको यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाता है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक भारतीय रोजगार गारंटी स्कीम है, जो कानूनी न्यूनतम प्रति दिन के वेतन पर लोक निर्माण से संबंधित अकुशल मानवीय कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करती है।
- उद्योग आयोग अथवा निदेशालय भिन्न राज्यों में नोडल एजेन्सीज होती हैं, जो संबंधित राज्य में किसी औद्योगिक इकाई के स्थापन में नए उद्यमियों की सहायता एवं मार्गदर्शन करती हैं। राज्य सरकार के रोजगार निदेशालय की सूची http://www.dget.nic.in/asp/sempdir.htm पर देखी जा सकती है।

बेरोजगारी सहायता

कुछ राज्य सरकारें रोजगार केन्द्रों में तीन वर्ष से अधिक समय तक पंजीकृत बेरोजगारों को सहायता प्रदान करती हैं। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जिला आयुक्त अथवा रोजगार केन्द्र से सम्पर्क करें।

भावी शिक्षा संभावनाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण

- वापस लौटने वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कौशल पाठ्यक्रमों में नाम दर्ज करवाकर अपनी बुनियादी शिक्षा में कौशल प्रशिक्षण अथवा शिक्षा हासिल कर सकता है। ये पाठ्यक्रम कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में ऑफर किए जा रहे हैं। वापस लौटने वाला व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और संबंधित प्राधिकरण की तलाश वेबसाइट http://skillindia.gov.in/. पर स्किल इण्डिया नामक सरकारी पोर्टल पर कर सकता है।
- वापस लौटने वाला व्यक्ति अपनी भावी शिक्षा के लिए अथवा अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी करने के लिए मुक्त शिक्षा संस्थानों से भी सम्पर्क कर सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखिल भारतीय मुक्त शिक्षा परिषद् (एआईसीओई) (www.**aicoe**.*in*) पर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (www.nios.ac.in) पर प्राप्त की जा सकती है। वापस लौटने वाला व्यक्ति दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर रहे विभिन्न संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों में से अपनी पसंद का कोई संस्थान चुन सकता है, जैसेकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)। विश्वविद्यालय के संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट *www.ignou.ac.in* पर उपलब्ध है।

zirf.eu

IV. आवास

आवासीय स्थिति

क. औसत किराया, परिचालन लागत/उपयोगिताएं (जैसे बिजली, पानी, इत्यादि)

प्रमुख शहरों में संपत्ति की कीमतें विश्व के अधिकांश शहरों के बराबर हैं। किराए की दरें गांवों के मुकाबले शहरों में काफी अधिक हैं।

- भारत के बड़े शहरों जैसे नई दिल्ली और मुंबई में एक बेडरूम के साधारण अपार्टमेंट का किराया 9000–12000 भारतीय रूपए होगा। दो या तीन बेडरूम के अपार्टमेंट का किराया 15000–30000 भारतीय रूपए होगा, जो शहर और मकान की अवस्थिति पर निर्भर होगा।

ख. मांग और पूर्ति

भारत में कोई सु–विकसित बाजार नहीं होने तथा लम्बे समय से चली आ रही मकानों की कमी के कारण इनकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। सन 2012 में शहरी क्षेत्रों में मकानों की अनुमानित संख्या 18.8 मिलियन में अधिकांश मकान प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के माध्यम से किराए पर दिए जा रहे थे। ये प्रॉपर्टी ब्रोकर्स साधारणतः असंगठित होते हैं तथा एक छोटे क्षेत्र विशेष में काम करते हैं। आमतौर पर मकान मालिक द्वारा एक महीने का किराया वापसी योग्य पेशगी के रूप में जमानत के तौर पर लिया जाता है। किराएदार का पुलिस सत्यापन कानूनी तौर पर जरूरी है पर बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों तथा गांवों में इस पर शायद ही कोई अमल करता है।

ग. वापस लौटने वालों के लिए आवासीय सुविधाएं/सामाजिक आवास व्यवस्था

वापस लौटने वालों को कुछ दिनों के लिए अस्थायी आवास सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जहां वापस लौटने वाला समुचित खर्चे के भीतर किराए के मकान या गेस्ट हाउस में रह सकता है। यह खर्चा भेजने वाले देश द्वारा वहन किया जाता है।

आवास खोजने के तरीके/सहायता

विभिन्न वेबसाइट्स जैसेकि 99acres.com तथा magicbricks.com फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने–देने के लिए सम्पूर्ण भारत में विकल्प उपलब्ध करवाती हैं।

आवास हेतु सामाजिक अनुदान

सरकार द्वारा आवास हेतु अनेक स्कीमें चलाई जा रही हैं, परंतु उनमें से अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तक सीमित हैं। ये स्कीमें साधारणतः राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। अधिक जानकारी http://india.gov.in/topics/housing पर प्राप्त की जा सकती है।

V. समाज कल्याण

समाज कल्याण व्यवस्था

क. कल्याण व्यवस्था के विषय में सामान्य जानकारी

- राष्ट्रीय और राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा की अनेक स्कीम तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। तथापि, ये अधिकांशतः शोषित वर्गों जैसेकि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए होते हैं।
- ये कार्यक्रम साधारणतः पंचायत कही जाने वाली ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए पंचायत/जिला आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क करें अथवा राज्य/केन्द्र सरकार की वेबसाइट देखें।

पेंशन स्कीम

क. पेंशन स्कीम के बारे में सामान्य जानकारी

कर्मचारी पेंशन स्कीम अनिवार्य तथा रोजगार के साथ जुड़ी स्कीम है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में केवल गरीबी रेखा से नीचे की आबादी अथवा दिव्यांगों को आवृत्त किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) एक स्वैच्छिक, परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति बचत स्कीम है जो इसके अंशदाताओं को अपने कार्यकाल के दौरान व्यवस्थाबद्ध बचत के माध्यम से भविष्य के बारे में यथेष्ट निर्णय हेतु समर्थ बनाती है। इस संबंध में अधिक जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है : https://npscra.nsdl.co.in/download/pdf/NPS%20Booklet.pdf.

दुर्बल वर्ग

क. दुर्बल वर्गों के बारे में सामान्य जानकारी

दुर्बल वर्गों में भारत में निःशक्त और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोग शामिल किए जा सकते हैं। उनकी दुर्बलता के आधार पर, इन वर्गों को सरकारी स्कीमों के तहत विभिन्न लाभों का हकदार बनाया गया है, जिनमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सब्सिडीयुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं तथा सब्सिडीयुक्त राशन/खाद्य वस्तुएं शामिल हैं। अतिरिक्त जानकारी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से हासिल की जा सकती है।

zirf.eu

ख. दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों हेतु सहायता

दुर्बल वर्गों के लोगों के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ऐसी स्कीमों की अतिरिक्त जानकारी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

VI. शिक्षा

शिक्षा प्रणाली

शिक्षा प्रणाली के विषय में सामान्य जानकारी

अधिकांश नगरों और उप–नगरो में सरकारी और प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं। तथापि, शिक्षा की लागत और गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में शिक्षण वर्ष जून/जुलाई में आरंभ होता है। अतएव इच्छुक विद्यार्थियों को तदनुसार आवेदन करना चाहिए।

शैक्षिक स्तर	आयु
चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल	0-3
किंडरगार्टन	3-6
प्राथमिक स्तर	
प्राथमिक विद्यालय	6-10
माध्यमिक स्तर	
जैसेकि मिडिल स्कूल	10-15
जैसेकि हाई स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इत्यादि	15-19
उच्चतर शिक्षा	
जैसेकि कालेज, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल स्कूल, इत्यादि	19 से आगे

- अधिकांश गांवों में प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 8 तक) उपलब्ध हैं। बच्चों को हाई स्कूल शिक्षा (कक्षा 9 से 12 तक) के लिए निकटवर्ती गांव/उप–नगर जाना पड़ सकता है। मान्यताप्राप्त विद्यालयों के बारे में विस्तृत विवरण के लिए राज्य शिक्षा बोर्ड से सम्पर्क करें।
- कालेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ब्लॉक और जिला स्तर पर अवस्थित हैं। अधिकांश बड़े नगरों में विश्वविद्यालय मौजूद हैं। 700 विश्वविद्यालयों तथा 35,000 से अधिक सम्बद्ध कालेजों में 20 मिलियन से अधिक विद्यार्थियों वाली भारतीय उच्चतर शिक्षा एक बृहद और जटिल प्रणाली है।
- 60 विश्वविद्यालयों में कार्यरत 66 संस्थानों के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 11 मुक्त विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों, बोड्र्स तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी http://mhrd.gov.in/institutions पर प्राप्त की जा सकती है।

पहुंच और पंजीकरण प्रक्रिया, खासकर वापस लौटने वालों के लिए

साधारणतः प्रवेश के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है :

- आवेदन/पंजीकरण प्रपत्र
- पासपोर्ट आकार की फोटो, अंक तालिका तथा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
- जन्म तिथि का प्रमाणपत्र (आमतौर पर आपकी 10वीं कक्षा की अंक तालिका अथवा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जिसमें जन्म तिथि दी गई है)
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (उस स्कूल द्वारा जारी जहां अंतिम बार पढ़ाई की है)
- अधिवास प्रमाणपत्र/निवास का प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र (गृहराज्य से बाहर राज्य में आवेदन के लिए), चरित्र प्रमाणपत्र (साधारणतः उस स्कूल द्वारा जारी जहां अंतिम बार पढ़ाई की है)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति प्रमाणपत्र (यदि इन संवर्गों के तहत आवेदन किया है), समुदाय प्रमाणपत्र (यदि ऐसे कोटा के लिए आवेदन किया है)
- अंतराल विद्यार्थियों को विशेष न्यायाधिकार क्षेत्र में स्थित न्यायालय से शपथपत्र प्राप्त करना होगा
- स्थानांतरण प्रमाणपत्र

लागत, ऋण और वृत्तिकाएं

क. शिक्षण शुल्क के बारे में सामान्य जानकारी

शिक्षा की लागत में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं बहुत कम शुल्क पर शिक्षा प्रदान करती हैं जबकि निजी संस्थाओं में शिक्षा तुलनात्मक रूप से बहुत महंगी है।

ख. वृत्तिकाओं तथा/अथवा शिक्षण आवृत्तकारी ऋणों हेतु पहुंच और अपेक्षाएं

- ऐसे विद्यार्थी जो अपने शिक्षण शुल्क का खर्चा करने में असमर्थ हैं, विद्यार्थी ऋण के लिए ग्राह्य हो सकते हैं। ये ऋण विभिन्न सरकारी अथवा प्राइवेट बैंकों द्वारा किसी विद्यार्थी की ऋण संबंधी ग्राह्यता निर्धारण के पश्चात उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंकों द्वारा विद्यार्थी ऋण साधारणतः बैंक की सामान्य से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ऐसे ऋण प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थियों को सभी शिक्षण दस्तावेज जमा करने के आधार पर मानदंडों की पूर्ति तथा विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्यक्रम की विश्वसनीयता आश्वस्त करनी चाहिए।
- अधिक जानकारी अपनी पसंद के बैंक से सीधे सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

विदेशी डिप्लोमा का अनुमोदन और सत्यापन

दिल्ली स्थित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के मूल्यांकन प्रभाग को उच्चतर अध्ययनों हेतु प्रवेश के संबंध में प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों की समतुल्यता का कार्य सौंपा गया है।

VII. सम्पर्क सूचना तथा उपयोगी सम्पर्क सूत्र

1. अंतर्राष्ट्रय, गैर–सरकारी, मानवीय संगठन

इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) एफ–5, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110048 ई–मेल : iomnewdelhi@iom.int फोन : +91–11–40532401/03	यूएनएचसीआर – यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज बी–2/16, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 ई–मेल : indne@unhcr.org फोन : +91–11–43530444
ओवरसीज वर्कर्स रिसोर्स सेंटर ऐण्ड एमआरसी वीएफएस, ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर–218, उद्योग विहार, फेज–4, गुड़गांव, हरियाणा–122016 ई–मेल : helpline@owrc.in फोन : 1800113090	

2. चिकित्सा सुविधाएं, उदाहरण के लिए अस्पताल इत्यादि

एआईआईएमएस – ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज (सरकारी) अन्सारी नगर ईस्ट, गौतम नगर, नई दिल्ली ई–मेल : ms@aiims.ac.in फोन : +91–11–26588500, 26588900, 26588700 वेबसाइट : www.aiims.edu	लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (सरकारी) दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 ई–मेल : inhmsoffice@gmail.com फोन : +91–11–23232400 वेबसाइट : http://www.delhi.gov.in/
इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स (प्राइवेट) सरिता विहार, दिल्ली मथुरा रोड, नई दिल्ली–110076 ई–मेल : helpdesk_delhi@apollohospitals.com फोन : +91–11–26925858/26925801 फैक्स : +91–11–26925563	राजीव गांधी कैन्सर इंस्टीट्यूट ऐण्ड रिसर्च सेंटर सेक्टर–5, रोहिणी, दिल्ली–110085 ई–मेल : inhmsoffice@gmail.com फोन : +91–11–47022222 वेबसाइट : www.rgci.org